# महिला समाख्या रिजल्ट फ्रेमवर्क

| वर्णनात्मक | *लक्ष्य*<br>1. *अत्यन्त वंचित वर्ग की महिलाओं एवं लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना तथा उनके अधिकारों एवं अवसरों में उनकी पहुँच सुनिश्चित करना।*<br>2. *परिवर्तनकर्ता के रूप में महिलाओं को पूर्ण एवं समान भागीदारी में सक्षम बनाने हेतु शिक्षा एक महत्वपूर्ण कुँजी है।* |
|---|---|

| वर्णनात्मक | *उद्देश्य*<br>**1. *अत्यन्त पिछड़े वर्ग की महिलाओं तक कार्यक्रम सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम का विस्तारीकरण करना।*** |
|---|---|
| तात्कालिक परिणाम | महिला समाख्या के आच्छादन का विस्तारीकरण 21,000 अतिरिक्त संघों के द्वारा करना। |
| मापक सूचकांक | 1.1 संघों की सदस्यता (शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखण्ड (EBB) तथा जिलावार) सामाजिक वर्गों (जाति एवं समुदाय) के द्वारा खंडित हो।<br>1.2 नये शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों में कार्यक्रम का संस्थापन विकेन्द्रित तथा सहभागिता के रूप में हो।<br>1.3 महिला समाख्या कार्यक्रम प्रबंधन ढांचा कर्मियों को ससमय एवं पुख्ता सहयोग प्रदान करती है।<br>1.4 क्षेत्र विस्तार का प्रभावशाली एवं नियमबद्ध योजना का होना। |
| उद्देश्य के सत्यापन का माध्यम | 1.1 संघ/समूह , जिला कार्यन्वयन इकाइ, राज्य कायोलय, राष्ट्रीय कार्यालय लिखित प्रमाण(सदस्यों की सामाजिक समूह के आधार पर उम्र, वर्ग, परिवार की शैक्षणिक स्थिति आदि का प्रबंधन सूचना तंत्र/एम.आई.एस आंकड़ा), साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन सूचना तंत्र/एम.आई.एस आंकड़ा।<br>1.2 **क)** संघ/समूह, लिखित प्रमाण **(बैठक की कार्यवाही) और वार्षिक कार्ययोजना** – जो समूह सदस्यों प्राथमिकता के अनुसार बैठक के ऐजेण्डा को दर्शाता है।<br>**ख) राज्य कार्यालय एवं जिला कार्यन्वयन इकाई, कार्ययोजना की प्रकिया का लिखित प्रमाण (बैठक की कार्यवाही ) और वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट** (पहले जिला कार्यालय उसके बाद राज्य कार्यालय द्वारा निर्मित)<br>1.3 **जिला कार्यन्वयन इकाई, राज्य कार्यालय एवं राष्ट्रीय लिखित प्रमाण –मुख्यत: प्रशिक्षण रिर्पोट एवं कार्यशाला कार्यवाही** (जो पूर्व में महिला समाख्या के कर्मियों के लिए विषय आधारित एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण को इंगित करता हो)<br>1.4 **क) राज्य स्तरीय महिला समाख्या कार्यक्रम का वार्षिक प्रतिवेदन**<br>**ख) संघ/समूह , फेडरेशन, जिला कार्यन्वयन इकाई एवं राज्य कार्यालय विस्तारीकरण का लिखित प्रमाण (बैठक की कार्यवाही,**जिसमें विस्तारीकरण के लिए योजना और आवश्यक सामग्रियों को केन्द्र बिन्दु मानकर चर्चा किया गया हो साथ ही उसे सुदृढ़ता प्रदान कर/भौतिक रूप से स्वतंत्र **करना।)**– स्वायत फेडरेशन के विस्तारीकरण/स्वतंत्र होने की भूमिका में हो।<br>**ग) राष्ट्रीय स्तरीय दृष्टिकोण (प्रबंधन सूचना तंत्र/एम.आई.एस आंकड़ा विश्लेषण) महिला समाख्या कार्यक्रम के आधार पर विस्तारीकरण एवं मजबूतीकरण।** |
| अनुमान | I. महिला समाख्या प्रक्रिया विस्तृत कार्यक्रम एवं राजनीतिक संदर्भ में सहयोग प्राप्त करता है तथा कार्यक्रम जेण्डर समानता की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है।<br>II. कर्मियों को ससमय तथा प्रभावशाली सहयोग। |
| दीर्घकालिन परिणाम | I. संघ की महिलाओं पर प्रभाव, संघ के बाहर की महिलाओं के विस्तृत प्रभाव का नेतृत्व करता है।<br>II. महिलाओं का एक ऐसा समूह तैयार करता हो जो पदानुक्रम के बगैर प्रबंधन का तरीका तथा पारदर्शिता के प्रति सम्मान एवं ग्रामीण क्षेत्र के अत्यधित वंछित वर्ग की महिलाओं के साथ कार्य करने के योग्य हो। |

| वर्णनात्मक | *उद्देश्य*<br>*2. विभिन्न क्षमता विकास माध्यमों द्वारा महिलाओं की जानकारी में बढ़ोत्तरी, अधिकारों तक पहुँच के लिये मदद करना।* |
|---|---|
| तात्कालिक परिणाम | 1 महिलाओं के जीवन संबंधी मुद्दों पर जानकारी बढ़ाना<br>2 इन मुद्दों पर महिलाओं की संक्रीयता पूर्ण प्रयास एवं कार्य तथा इस हेतु सहयोगी ढ़ाँचा।<br>3 इसे प्राप्त करने हेतु अन्य कार्यक्रमों तथा विभागों से जोड़ना। |
| मापक सूचकांक | 2.1 महिलाओं के जीवन से संबंधित मुद्दों को समाधान करने तथा आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु ज्ञान तथा सुविधाओं की मांग में वृद्धि।<br>2.2 महिलाओं की बढ़ी हुई गतिशीलता।<br>2.3 महिला समाख्या कार्यक्रम को ग्राम/प्रखंड/जिला स्तर पर, अन्य कार्यक्रमों और विभागों के संबंध में संघ/फेडरेशन स्तर पर जानकारियाँ में वृद्धि करना।<br>2.4 महिला समाख्या का सहयोग सृजनशीलता कार्यों, और संघों/फेडरेशन द्वारा संचालित वैकल्पिक संरचना में हो।<br>2.5 महिला समाख्या का सहयोग समूह सदस्यों की क्षमतावृद्धि, और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में औपचारिक/संस्थागत समितियों में भागीदारी के द्वारा प्रभावपूर्ण दायित्व में हो।<br>2.6 महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में लाभ को प्राप्त करना।(उदाहरण–योजना)। |
| उद्देश्य के | 2.1 **क)** चर्चा संबंधी संघ की लिखित दस्तावेज (बैठक की कार्यवली) मुद्दे/विषय द्वारा खंडित। |

| | |
|---|---|
| सत्यापन का माध्यम | **ख)** संघ,फेडरेशन,जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय का लिखित दस्तावेज(उदाहरण– योजना निर्माण बैठक का लिखित प्रमाण) योजना निर्माण प्रशिक्षण कैलेण्डर की प्रक्रियाएँ।<br>**ग)** संघ एवं फेडरेशन सदस्यों के लिए विषय/ मुद्देवार/ क्षमतावर्द्धन/ आवयश्कता आधारित माँग के प्रशिक्षण का आँकड़ा, **साथ ही संघ, फेडरेशन, जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय (प्रबंधन,सूचना तंत्र MIS) में संपादित प्रशिक्षण की संख्या का आँकड़ा।**<br>**2.2** क) बेसलाइन सर्वे से प्राप्त परिणाम (व्यक्तिगत रूप से महिलाओं में गतिशीलता का क्षेत्र )<br>ख) संघ का लिखित प्रमाण( बैठक की कार्यवली के साथ) विशेषकर दस्तावेजीकरण/ विशिष्ट कारण/ और महिलाओं की सामूहिक गतिशीलता को दर्शाने वाली केस स्टडी/उद्येश्य जिससे कि(उदाहरण–सामूहिक पहुँच/संबंधित मुद्यों या संस्थाओं तक पहुँच जैसे बाजार/बैंक/सरकारी सेवा प्रदाता इत्यादि, विरोध संबंधित कार्य, फेडरेशन स्तर तक प्रतिनिधित्व इत्यादि ।<br>ग), **जिला कार्यान्वयन इकाई द्वारा गुणवत्तापूर्ण केस स्टडी का रख–रखाव/राज य का र्यक्रम की वार्षिक प्रतिवेदन(उदाहरण–उपर 2.2 ख के जैसा)**<br>2.3 **क)** बेसलाइन सर्वे से प्राप्त परिणाम( गाँव के प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार से प्राप्त आँकड़े।)<br>**ख) संघ तथा फेडरेशन के लिखिति प्रमाण( प्रबंधन,सूचना तंत्र MIS के आँकड़े,बैठक की का र्यवाही, सदस्यता की सहभागिता में और अन य सरकारी कार्यक्रमों तथा विभागों के साथ प्रभावीकरण/ जुड़ाव/ पैरवी संबंधित कार्य(विभाग तथा आपसी संबंधों के प्रकार खंडित रूप में)**<br>**ग)** बैठक की कार्यवली/कार्यक्रयों की अन्य लिखित प्रमाण/ सरकारी कार्यक्रमों की कमिटियाँ/विभिन्न स्तरों के विभाग, और साथ ही निमंत्रण और/ या जुड़ाव/भागीदारी के दस्तावेज,इसी प्रकार संघ/संघ सदस्या के द्वारा रख–रखाव।<br>**2.4 क) वैकल्पिक ढाँचा (शैक्षणिक,कानूनी,स्वास्थ्य या अन्य)संबंधित संघ,** फेडरेशन,जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय का लिखित प्रमाण–उदाहरण,निम्नलिखित संबंधित **MIS आँकड़े– केन्द्रो/ढाँचों की संख्या, पहुँच और लाभ प्राप्त करनेवाले लोगों की संख्या। सामाजिक समूह ,उम्र, जेण्डर,वर्ग,स्थान इत्यादि द्वारा खंडित।**<br>**ख) संघ,** फेडरेशन, जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय स्तरीय प्रशासनिक विशेषकर वितिय संबंधी,सेवा प्रावधान हस्तक्षेपीय प्रक्रिया और उपलब्धियाँ/उपरोक्त वैकल्पिक ढाँचं संबंधित सफल कहानियाँ की प्रक्रिया दस्तावेजीकरण( विशेषकर बैठक की कार्यवली, रजिस्टर, वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि)।<br>2.5 **क) संघ,** फेडरेशन, और जिला कार्यान्वयन इकाई के लिखित प्रमाण( बैठकों की कार्यवली) जिसमें संघ के दृष्टिकोण/जानकारी/ कानूनी प्रक्रियाओं संबंधी मुद्यों पर कौशल प्रशिक्षण की मांग( विरोध प्रदर्शन/पैरवी/जुड़ाव/कानूनी तरीके/सूचना का अधिकार इत्यादि)।<br>**ख)** जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय स्तरीय महिला समाख्या द्वारा महिला संघों के लिए पैरवी और अन्य कानून सकेन्द्रित आयोजित प्रशिक्षण का **MIS आँकड़े( प्रकार, प्रकृति और विभिन्न क्षेत्रो/सामाजिक वर्गो के आधार पर समूह सदस्यों की भागीदारी द्वारा खंडित)**<br>**ग) संघ,** फेडरेशन, और जिला कार्यान्वयन इकाई और ग्राम स्तरीय समितियों की मुद्दें आधारित **विभिन्न कमिटियों में संघ महिलाओं की सदस्यता संबंधित MIS आँकड़ें जैसे–ग्राम शिक्षा समिति,एम.टी.ए.,पी.ओ.ए.ग्राम स्वास्थ्य समिति,पानी समिति,वैन समिति इत्यादि(सामाजिक और भौगोलिक रूप से खंडित आँकड़ें)**<br>**घ)** जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय के लिखित प्रमाण–वार्षिक प्रतिवेदन विशेषकर एडवोकेसी/विरोध प्रदर्शन संबंधित कार्यो का केस स्टडी और अन्य सरकरी कार्यक्रमो/विभागों की क्रियान्वयन के दायित्व को प्रभावित करने में संघ तथा फेडरेशन द्वारा सफल हस्तक्षेप।<br>**ड.)** राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के एम.आई.एस. आँकड़े/ बेसलाइन सर्वे से प्राप्त परिणाम के लिए उपरोक्त कार्य और सफल कहानियों संबंधित खंडित आँकड़े( प्रकार,/प्रकृति, सफलता/प्रभावित परिवर्तन के प्रकार, कार्यक्रमों/विभागों द्वारा मुद्दे विषयक क्षेत्र इत्यादि।)<br>2.6 **क) संघ,** फेडरेशन, और जिला कार्यान्वयन इकाई का लिखित प्रमाण (बैठकों की कार्यवली, महिला समाख्या/संघ/ फेडरेशन के कार्य /हस्तक्षेप ,रजिस्टर इत्यादि के लाभुको की सूची)। इसी प्रकार राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय के (एम.आई.एस.) के भी सामाजिक रूप से खंडित आँकड़े जो विशिष्ट अधिकारों और राज य द्वारा संघ सदस्यों को प्राप्त लाभ को प्रतिबिंबत करता हों।(उदाहरण–नरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड)।<br>**ख) संघ,** फेडरेशन, ग्राम पंचायत ,गाँवों के समितियों का लिखित प्रमाण(जैसे– रजिस्टर,बैठक की कार्यवली, लाभुकों की सूची) और केस स्टडी/ जिला कार्यान्वयन इकाई, राज्य कार्यालय के अन य दस्तावेज जैसे– वार्षिक प्रतिवेदन इत यादि भी– जो अधिकार और लाभ तक पहुँच/सं घ के बाहर की महिलाओं के हक /सं घ के द्वारा समुदा य के अन य हिस्सके /फेडरेशन के हस्तक्षेप/ एडवोकेसी को प्रतिबिंबित करता हो। |
| अनुमान | I. महिला समाख्या महिलाओं को प्रशिक्षण, सहयोग, (परिपेक्ष्य/कौशल) प्रदान करती है।<br>II. महिला समाख्या कर्मियों को संघ सदस्यों के लिये इन प्रशिक्षणों को देने हेतु प्रशिक्षित तथा सज्जित करना।<br>III. विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तथा कार्यक्रम संबंधी व्यक्तियों से सहयोग। |
| दीर्घकालिन परिणाम | I. वंक्षित महिलायें अपने पद एवं अधिकारों को समझेगी जो स्थिति को बदल देगा।<br>II. वंक्षित महिलाओं को उनके अधिकार एवं पद प्रदान करने हेतु राज्य के प्रति पारदर्शिता तथा विश्वास को जितना।<br>III. समता तथा समानता के वंक्षित महिलाओं की अपनी विचार धारा का उच्चारण। |

| | |
|---|---|
| वर्णनात्मक | *उद्देश्य*<br>***3. महिलाओं के साथ लगातार संलग्न रह कर औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में महिलाओं तथा लड़कियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सहयोग प्रदान करना।*** |

| | (जीवन प्रयन्त शिक्षा/लगातार शिक्षा) |
|---|---|
| **तात्कालिक परिणाम** | 1 महिला संघ सक्षम होंगे जिससे कि सक्रिय सहयोग एवं अनुश्रवण/ग्राम स्तरीय सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों जैसे प्राथमिक विद्यालय,वैकल्पिक तथा अनोपचारिक शिक्षा की सुविधाओं के साथ पारस्परिक रूप से सहयोग प्रदान कर सके।<br>2 औपचारिक तथा अनौचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं तथा लड़कियों की अधिकाधिक भागीदारी।<br>3 महिला समाख्या का अपना हस्तक्षेप/लड़कियों और समूह स्तरीय प्रक्रिया विशेषकर जीवन के विभिन्न पड़ाव/विभिन्न आयु वर्ग के शिक्षा हेतु मंच।<br>4 आलोचनात्मक सीख की प्रक्रिया और शिक्षा विज्ञान का विकास। |
| **मापक सूचकांक** | 3.1 लड़कियों तथा महिलाओं के बीच वास्तविक तथा विषय आधारित साक्षरता की बढ़ोतरी।<br>3.2 महिला समाख्या के प्रयास और हस्तक्षेप द्वारा लड़कियों के नामांकन को बढ़ाना।<br>3.3 शिक्षा के उपयोगिता तथा मांग को बढ़ाना और संसाधनों का लाभ उठाना।<br>3.4 महिला समाख्या द्वारा निर्मित/द्वारा नेतृत्वकृत जुड़ाव द्वारा विभिन्न विषय आधारित पाठ्यक्रम, शिक्षा विज्ञान में बढ़ोतरी ।<br>3.5 शैक्षणिक संस्थानों का प्रभाव और उसी के पाठ्यक्रम को प्रभावित करना( ग्राम शिक्षा समिति में संघ की भागीदारी,एम.एस.एस. का राज्य शिक्षा विभाग /एस.एस.ए. के साथ जुड़ाव)।<br>3.6 महिला समाख्या द्वारा संचालित औपचारिक और अनौपचचारिक शिक्षण केन्द्र जो कि अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित हो रहा है।<br>3.7 महिलाओं के खुद के सीख को दस्तावेजीकरण तथा फैलाव के संबंध में क्षमता/महत्व का बढ़ना।<br>3.8 महिलाओं के जीवन के अनुभव को टी.एल.एम./विभिन्न स्तर पर नियमावली में परिवर्तित करना( साथ ही टी.ओ.टी.)<br>3.9 सीख में वृद्धि के लिए स्थानीय /लोकप्रिय माध्यम,सांस्कृतिक रूपों को लाभ उठाना। |
| **उद्देश्य के सत्यापन का माध्यम** | 3.10क) डी.आइ.एस.इ. और जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय **MIS आँकड़े**–महिलाओं तथा लड़कियों के प्रत्येक गाँव के अनुसार साक्षरता दर ( सामाजिक वर्गो द्वारा खंडित रूप से यदि संभव हो।<br>ख) जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय स्तर का लिखित प्रमाण **(MIS आँकड़े) साक्षरता महिलाओं एवं लड़कियों के लिए महिला समाख्या और/ या संघ/फेडरेशन, साथ ही साथ संघ तथा संघ की बाहर की महिलाओं की भागीदारी तथा सीख संबंधित उपलब्धि यों के आँकड़े एवं सकेन्द्रित हस्तक्षेपों की संख्या ( ए.एल.सी., चरणबद्ध साक्षरता कैम्प, इत्यादि।)( सामाजिक समूह,क्षेत्र/गाँव इत्यादि में खंडित)**<br>**ग) संघ का लिखित प्रमाण(रजिस्टर, शिक्षा/अन्य मुद्दे आधारित कमिटि इत्यादि– जो कि संघ सदस्यों के साक्षरता संबंधित उपलब्धियों एवं उपयोगिताओं और अन्य दस्तावेजीकरण/केस स्टडी MIS आँकडे इत्यादि, जो** जिला कार्यान्वयन इकाई/राज्य कार्यालय स्तर पर रख–रखाव किया गया हो, को प्रतिबिंबित करता हो।<br>**3.11**क) महिलाओं व लड़कियों का गाँव के अनुसार नामांकन और उपस्थिति दर के लिए डी.आई.एस.ई./या जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय **(MIS आँकड़े) ( यदि संभव हो तो सामाजिक समूह द्वारा खंडित)– और राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण( साथ ही MIS) आँकड़े जो इसमें समय के अंतराल पर बढोतरी दर्शाए(पिछले दो सालों की तुलना करते हुए)।**<br>**ख)** जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय का लिखित प्रमाण **(MIS आँकड़े)– जो कि महिला समाख्या और संघ/फेडरेशन द्वारा नेतृत्व किए गए अभियान और अन्य हस्तक्षेपों जो कि गाँव/महिला समाख्या के कार्यक्षेत्र में लड़कियों के नामांकन में बढ़ोतरी को प्रतिबिंबित करता हो।**<br>**ग) संघ का लिखित प्रमाण( रजिस्टर, सूची बैठक की कार्यवाही, सूची/संघ की शिक्षा समिति द्वारा संग्रहित आँकड़े इत्यादि)– जो कि महिला समाख्या/संघ के लड़कियों के नामांकन तथा ठहराव संबंधित उपलब्धियों और अन् य दस्तावेज/केस स्टडी इत्यादि जो कि** जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय स्तर पर संग्रहित किया गया है को प्रतिबिंबित करता हो(उदाहरण– वार्षिक प्रतिवेदन में)।<br>3.12क) संघ/फेडरेशन बैठक का लिखित प्रमाण/कार्यवाही– जो चर्चाओं को प्रतिबिंबित करता हो, विशेषकर शिक्षा समितियों में, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर, और कार्ययोजना हेतु प्रक्रिया आधारित योजना।<br>**ख) ग्राम शिक्षा समिति बैठक की लिखित कार्यवाही और महिला समाख्या(ग्राम स्तरीय)का शिक्षा पर प्रशिक्षण– जो संघ सदस्यों की भागीदारी,दृष्टिकोण और शिक्षा के लिए मांग/शिक्षा से संबंधित मुद्दों को उठाने को प्रतिबिंबत करता हो।**<br>3.13**क)** जिला कार्यान्वयन इकाई/ राज्य कार्यालय का लिखित प्रमाण–साथ ही साथ जुड़ाव प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज,बैठक की कार्यवली, वार्षिक रिर्पोट में गुणवतापूर्ण वर्णन इत्यादि– जो एस.सी.ई.आर.टी./डायट/एस.एस.ए. इत्यादि के पाठ्यक्रम के संरचना में जेण्डर संवेदनशीलता, सामाजिक आचरणों (शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) का समावेश हो।<br>ख) राज्य कार्यालय का लिखित प्रमाण( उर्पयुक्त योजना की कार्यवली/बैठक की रूपरेखा और/ या कार्यशाला) और सामग्रियाँ( किताबें/टेक्सट,मॉडयूल,A-5 के विज्ञापन इत्यादि– जो जेण्डर और केन्द्रीय रूपरेखा और पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रतिबिंबत करता हो और महिला शिक्षण केन्द्र के संदर्भ में महिला समाख्या के अन्दर शिक्षण पद्धतियाँ विकसित की गई हों, साथ ही वयस्क शिक्षा(ए.एल.सी., साक्षरता कैम्प, प्रशिक्षण इत्यादि) और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय और एन.पी.जी.ई.एल(जीवन कौशल शिक्षा इत्यादि)।<br>3.14क) 3.4 (क) के समान ।<br>ख) 3.3 (ख) के समान।<br>**3.15क)** राज्य कार्यालय का लिखित प्रमाण( **(MIS आँकड़े के अंतगर्त):** महिला शिक्षण केन्द्र की संख्या,ए.एल.सी.,एन.एफ.एल.सी.(उदाहरण– जगजगी, बालमित्रा केन्द्र इत्यादि), महिला समाख्या द्वारा संचालित के.जी.बी.भी. और एन.पी. जी.ई.एल केन्द्र। |

| | |
|---|---|
| | ख) इन केंद्रों की क्षमताएँ और वास्तविक उपस्थिति( संख्या में, और जेण्डर,उम्र, सामाजिक समूह, वर्ग,प्रशासनिक यूनिट इत्यादि द्वारा खंडित।)<br>ग) केन्द्र का प्रशासनिक और वित्तीय लेखा–जेखा का लिखित प्रमाण।<br>घ) सभी बैठकों की कार्यवाही, और कार्ययोजनाा/बजट इत्यादि की कार्यवाही– केन्द्रों के कार्ययोजना, प्रशासनिक, वित्तीय प्रबंधन और क्रियान्वयन/ क्रियाकलाप से संबंधित।<br>3.16 क) **संघ और फेडरेशन की कार्यवाही–विशेषकर** मुद्दे आधारित चर्चाएँ और विषयवार प्रशिक्षण, कार्यक्रम इत्यादि– जो उनके दृष्टिकोण, स्पष्ट अवधारणा,अभिव्यक्त करने की गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करता हो।<br>ख) जिला कार्यान्वयन इकाई/राज्य कार्यालय और राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का लिखित प्रमाण जिसके विविध स्तर पर महिला समाख्या कर्मी के दस्तावेजीकरण क्षमताओं को मजबूती मिलती हो औ और उनमें वृद्धि होती हो :<br>➢ प्रशिक्षण की संख्या, वास्तविक विषय पर खंडित( कौशल/दृष्टिकोण) किया गया हो और साधन सेवी/उत्प्रेरक(आंतरिक या वाहय)।<br>➢ इन प्रशिक्षणों में भागीदारी (महिला समाख्या में पद और अनुभवों द्वारा खंडित।)<br>ग) उर्पुयुक्त दस्तावेजीकरण प्रशिक्षणों/कार्यशाला के से संबंधित चर्चाओं की कार्यवाही– जो स्पष्ट अवधारणा इत्यादि को दर्शाता हो और महिला समाख्या कर्मी के विविध स्तर के लिए एक ही समयांतराल में बदलाव हुआ हो।<br>3.17 क) टी.एल.एम.( कार्यकर्त्ता, प्रशिक्षणदाता, संघ सदस्यों इत्यादि के प्रशिक्षण हेतु) विकसित/ महिला समाख या द्वारा डिजाइन किया गया हो – विशेषकर अतिवंचित महिलाओं की वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थिति याँ/ केस स्टडी/भाषा/शब्दावली।<br>ख) बैठक की कार्यवाही( जिला कार्यान्वयन इकाई/ राज्य कार्यालय स्तर) टी.एल.एम. के डिजाइन/ कार्ययोजना के लिए/इसके अंतगर्त प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.)हेतु भी)– जो महिलाओं के जीवन से संबंधित अनुभवों पर टी. एल.एम./उन केन्द्रों तक पहुँच को शामिल करने के संबंध में चर्चाओं को प्रतिबिंबत करता हो।<br>3.18 क) बैठक की कार्यवाही (संघ,फेडरेशन, जिला कार्यान्वयन इकाई/ राज्य कार्यालय स्तर पर) कार्ययोजना के लिए/शैक्षणिक रूपरेखा दर्शाने/ औपचारिक और अनौपचारिक सीख के हस्तक्षेप और गतिविधियें हेतु– जो मुख्यतः चर्चाओं में प्रदर्शित होता हो और क्रियान्वयन रणनीति में स्थानीय सांस्कृतिक/प्रसिद्ध मीडिया के रूप में शामिल किया गया हो(उदाहरण–काला जत्था, नुक्कड़ नाटक, लेखन और निर्मित गीत, पोस्टर डिजाइन इत्यादि।<br>ख) जिला कार्यान्वयन इकाई और राज्य कार्यालय स्तरीय (**MIS आँकड़े**), उर्पयुक्त गतिविधियों/ घटनाक्रम की संख्या (क्षेत्र, गतिविधियों के प्रकार / घटनाक्रम जिसमें हस्तक्षेप/ रणनीति/मुद्दे, लक्षित दर्शक/ लाभावन्ति समूह/ सामाजिक समूह द्वारा भागीदारी और संख्या में इत्यादि द्वारा खंडित। |
| **अनुमान** | I. फेडरेशन और संघ के उच्च क्षमतावर्द्धन के लिए महिला समाख्या को लगातार उनकी क्षमता को बढ़ाते रहना है।<br>II. शिक्षा विभाग को महिला समाख्या के साथ काम करते रहना और उनके कार्यक्रम,कार्ययोजना को महिला समाख्या के अनुभवों में समाहित करना। |
| **दीर्घकालिन परिणाम** | I. शिक्षा के मूल्यों को सामाजिक सीख के रूप में सृजित करना।<br>II. महिला समाख्या के हर जुड़ाव स्तर पर 'शिक्षा में जेण्डर' के लिए संसाधन का होना।(संघ और फेडरेशन के अंतगर्त)<br>III. महिला समाख्या का कार्य प्रभावपूर्ण/एकेडमिक संस्थानों के साथ जुड़ाव |

| वर्णनात्मक | *उद्देश्य*<br>4. ***अतिवंचित महिलाओं के बीच नेतृत्व क्षमता बढ़ाना और महिलाओं के समूह को स्वायत बनाना।*** |
|---|---|
| **तात्कालिक परिणाम** | 1 संघ/ फेडरेशन के अंदर प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं और उच्च स्तरीय निर्णय क्षमता का होना।<br>2 विकासात्मक गतिविधियों और निर्णय क्षमताओं में गाँव और अन्य स्तरों पर संघ सदस्यों की सक्रिय भागीदारी।<br>3 महिला समाख्या द्वारा अतिवंचित महिलाओं को चयनित प्रक्रिया(पी.आर.आई.) में सार्मथ्य बनाना और चयनित प्रतिनिधि द्वारा स्थानीय विकासात्मक एजेंडा में जेण्डर मुद्दों को शामिल करना, विशेषकर पंचायती राज संस्थान में।<br>4 संघ/ फेडरेशन के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वक्षमता विकसित करना(और द्वितीय स्तरीय नेतृत्वक्षमता)।<br>5 संघ/ फेडरेशन की पहुँच अधिक से अधिक महिलाओं, नए क्षेत्रों, और अन्य कार्यक्रमों/विभिन्न क्षमताओं के कार्यक्षेत्र में हो।<br>6 संघ/ फेडरेशन की पहचान स्वायत इकाई के रूप में विकसित हो।<br>7 संघ और फेडरेशन को नए क्षेत्रों/हस्तक्षेपों में जाने हेतु सक्षम बनाना। |
| **मापक सूचकांक** | 4.1 संघ और फेडरेशन में नेतृत्वक्षमता का वितरण(उदाहरण–सभी सदस्यों को अवसर)<br>4.2 संघ और फेडरेशन में कार्यक्रम प्रबंधन और कार्ययोजना में आत्मविश्वास का होना।<br>4.3 संघ और फेडरेशन का वित्तिय लेखा –जोखा के लिए हस्ताक्षरधारक की सदस्यता सिर्फ इनके समूह तक सीमित होनी चाहिए, जैसे–बाहरी व्यक्तियों द्वारा वित्तिय प्रबंधन/पहुँच न हो।<br>4.4 वित्तिय सहयोग हेतु महिला समाख्या पर निर्भरता में कमी हो।<br>4.5 महिलाओं को चुनाव में और पंचायती राज संस्थान में भागीदारी को बढ़ाना।<br>4.6 संघ और फेडरेशन में महिलाओं द्वारा मुद्दे आधारित गतिशीलता और महिलाओं की संस्था(कार्य करने के तरीके और संख्या) में स्वयं से होनी है,जिसके अंतगर्त मुद्दे आधारित सदस्यता हों।<br>4.7 नए क्षेत्रों के भौतिक विस्तारीकरण में संघ और फेडरेशन का प्रयत्न(पूर्व जिले/प्रखंड के अंदर भी)<br>4.8 संघ, फेडरेशन और महिला समाख्या के बीच भूमिका और उतरदायित्व के प्रकृति में बदलाव।<br>4.9 तकनीक (प्रक्रिया/तरीके) जो प्रजातांत्रिक और उच्च निर्णय क्षमता को सुनिश्चित करता हो।<br>4.10 संघों और फेडरेशनों का सरकारी तंत्र के साथ कार्य करना( प्रभावपूर्ण सरकारी कार्यक्रम,संसाधनों की गतिशीलता, वार्ता और समस्या समाधान के प्रति उतरदायित्व) |

| | |
|---|---|
| उद्देश्य के सत्यापन का माध्यम | 4.1 क) ) संघ / फेडरेशन के कार्यकारिणी सदस्यों की भूमिका एवं उतरदायित्व में भागीदारी होना जिसमें बैठक की कार्यवाही रजिस्टर /दस्तावेजीकरण/विविध कमिटियों के कार्यों का लिखित प्रमाण हो।<br>ख) सामान्य आधारभूत संरचना में सदस्यों के सामाजिक– आर्थिक प्रोफाइल और फेडरेशन के कार्यकारिणी सदस्यों का सदस्यता रजिस्टर और अन्य रजिस्टर का रख–रखाव, फेडरेशन द्वारा किया गया हो– सामाजिक समूह, उम्र, आर्थिक स्थिति के रूप में भी खंडित।<br>ग) कार्यकारिणी सदस्यों का नेतृत्वकर्त्ता के रूप में विभिन्न समितियों में चक्रीय स्प में होना– जैसेः संघ/फेडोशन के नियम(लिखित),बैठक की कार्यवाही।<br>4.2 क) घटनाक्रमों की संख्या जिसे समूह विभिन्न मुद्यों को समाधान करने के लिए पहल किया हो जैसेः **बैठक की कार्यवाही, आवेदन की कॉपी/शिकायत, एफ.आइ.आर.,सरकारी/ कोर्ट, संरक्षण पदाधिकारी, पंचायत द्वारा अधिकार दिलाने वाला आदेश,फीस,पीड़ित महिला हेतु मुआवजा।**<br>ख) महिला समाख्या के बिना सहयोग द्वारा बैठक का अनुपात जिसमें नियमित रूप से बैठक किया गया हो– उसे बैठक की कार्यवाही में दर्शाना।<br>4.3 संघ/ फेडरेशन की बैठक, कार्यवाही पंजी एवं लेखा संबंधी पंजी, वितिय स्टेटमेंट ।<br>4.4 संघ/ फेडरेशन की बैठक, कार्यवाही पंजी, एवं लेखा संबंधी पंजी, वितिय स्टेटमेंट ।<br>4.5 क) सभी स्तर पर ग्राम सभा और पी.आर.आई. में उपस्थिति पंजी, कार्यवाही तथा अन्य लिखित प्रमाण के आधार पर।<br>ख) पंचायत समिति(सामाजिक न्याय समिति, वितिय समिति एवं कार्यक्रम समिति) और जिला परिषद् में सदस्यता।<br>4.6 विभिन्न बैठकों की कार्यवाही, लाभ के बँटवारे की रूपरेखा(सूची इत्यादि) कार्यवाही पंजी,अन्य कमिटि गठन के लिखित प्रमाण ग्राम स्तर पर,संबंधित विभागों के लिखित प्रमाण,स्थानीय मीडिया रिर्पोट के आधार पर।<br>4.7 क) नए तथा पुराने दोनों प्रकार के संघो(विस्तारीकरण में लिप्त) का कार्यवाही पंजी।<br>ख) फेडरेशन कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही जो संघ/फेडरेशन के विस्तारीकरण के संबंध में निर्णय तथा जिम्मकवारियों के बँटवारे को दर्शाता हो।<br>ग) फेडरेशन/जिला कार्यान्वयन इकाई द्वारा संधारित विस्तारीकरण से संबंधित आँकड़े।<br>घ) राज्य कार्यालय और जिला कार्यान्वयन इकाई के योजना बैठकों की कार्यवाही जो विस्तारीकरण की प्रक्रिया, फेडरेशन के भागीदारी के पीछे तर्क/विचार को प्रतिबिंबत करता हो।<br>4.8 क) फेडरेशन कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही जो संघ/ संघ/ फेडरेशन के विस्तारीकरण के संबंध में निर्णय तथा जिम्मकवारियों के बँटवारे को दर्शाता हो– जो महिला समाख्या से प्राप्त सहयोग के स्तर एवं प्रकार को प्रतिबिंबत करता हो।(हैण्ड होल्डींग, मांग पर प्रशिक्षण सहयोग,संकट अवस्था में हस्तक्षेप, योजना संबंधी सुविधाएँ इत्यादि।)<br>ख) महिला समाख्या कार्यक्रम एवं फेडरेशन के बीच तालमेल के प्रकार एवं प्रकृति को दर्शाने हेतु राज्य कार्यालय और जिला कार्यान्वयन इकाई के लिखित प्रमाण।<br>4.9 क) संघ/ फेडरेशन की बैठक, कार्यवाही पंजी जो सामंजस्य निर्माण/लेने की प्रक्रिया को विशेष रूप से प्रतिबिंबत करता हो।<br>ख) नारी अदालत, फेडरेशन /संघ द्वारा संचालित विभिन्न समितियों की कार्यवाही/रिर्पोट।<br>ग) कार्यकारिणी समिति और विषयवार समिति सदस्यता का नेतृत्वकर्त्ता के रूप में परिक्रमण(रोटेशन) संघ/ फेडरेशन नियम(लिखित), बैठक की कार्यवाही के आधार पर।<br>4.10 संघ की कार्यवाही पंजी, फेडरेशन कार्यकारिणी समिति बैठक की कार्यवाही, फेडरेशन में कार्यरत विषय आधारित समिति के लिखित प्रमाण,लिये गए एक्शन का रिर्पोट,सरकारी आदेशों की छायाप्रति विपत्र,लाभ इत्यादि। |
| अनुमान | I. नेतृत्वक्षमता के विभिन्न पहलुओं को महिला समाख्या पहचानती है तथा कार्य करती है, महिला समाख्या के भीतर तथा संघ एवं फेडरेशन दोनों में।<br>II. महिलाओं को नेतृत्वकर्त्ता के रूप मे उभरने/नेतृत्वकर्त्ता का स्थान ग्रहण करने में आनेवाली समस्याओं से निपटने के लिए एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है।<br>III. राजनीतिक भागीदारी और महिलाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व करने हेतु कार्यक्रम द्वार सहयोग। |
| दीर्घकालिन परिणाम | महिलाओं का सम्मिलित रूप से नेतृत्वकर्त्ता की अभिव्यक्ति एवं अभ्यास का बदलता हुआ रूप। |

| वर्णनात्मक | *उद्देश्य*<br>5 *सामाजिक असमानता/असमान सामाजिक संबंध और भेदभावपूर्ण सामाजिक बाधाएँ/कार्य (व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूदायिक एवं राज्य स्तर पर) को चुनौती देने के लिए महिला शाखाओ की मदद करना।* |
|---|---|
| तात्कालिक परिणाम | 1 सभी हस्तक्षेप या कार्यक्रम प्रक्रिया सम्मिलित करने की आकर अग्रसर हो।<br>2 महिलना समाख्या कर्मी साथ ही संघ के सदस्य अपने व्यक्तिगत जीवन/कार्य में सामाजिक बंधनों को तोड़ते हों।<br>3 महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सामाजिक भेदभाव में महिलाओं द्वारा रिर्पोट देने में वृद्धि।<br>4 संसाधनों तथा निर्णय क्षमता में महिलाओं का बढ़ा हुआ नियंत्रण। |
| मापक सूचकांक | 5.1 संघ तथा फेडरेशन के आम सदस्यों के बीच मिश्रित सदस्यता।<br>5.2 महिलाओं की आवाज/स्वयं की पहचान की अभिव्यक्ति(परिवर्तनकर्त्ता के रूप में)।<br>5.3 केस/लिए गए घटना / में हस्तक्षेप–उदाहरणः महिला हिंसा बाल विवाह पर रोक, बाल मजदूरों का विद्यालय में पुनः नामांकन, ट्रेफकिंग के शिकार तथा संमर्पित बच्चों का संरक्षण एवं पुनर्वास (देवदासी/जोगिनी समितियाँ),अन्तः सामूदायिक/अर्न्तजातीय विवाह।<br>5.4 विचार किए गए/हल किए गए केस समूह/फेडरेशन(नारी अदालत) द्वारा– प्रकार, सामाजिक समूह,संघ की भागीदारी/ संघ के बाहर की महिलाओं की भागीदारी इत्यादि द्वारा खंडित आँकड़े। |

| | |
|---|---|
| | 5.5 अपने हक तथा सेवाों के लिए महिलाओं द्वारा संबंधित अधिकार की मांग में वृद्धि (व्यक्तिगत एवं सम्मिलित रूप से।)<br>5.6 संघ तथा फेडरेशन द्वारा दबाव समूह के रूप में कार्य करना और इस्तेमाल किए गए रणनीतियों के प्रकार(उदाहरण–**अभियान,एडवोकेसी, जुड़ाव,विरोध प्रदर्शन** इत्यादि।)<br>6 5.7 विभिन्न सेवाओं तक पहुँच और सम्पति के अधिकार में बढ़ोतरी,बचत की संरचना, आय के साख के स्रोत, बीमा इत्यादि(व्यक्तिगत एवं सम्मिलित रूप से)। |
| **उद्देश्य के सत्यापन का माध्यम** | 5.1 क) संघ का सदस्यता पंजी।<br>ख) गाँव के परिवारों की संख्या,उसकी सामाजिक–आर्थिक रूप रेखा के साथ–ही उनके वैवाहिक स्थिति/शारीरिक क्षमता,सामाजिक समूह, आर्थिक स्थिति इत्यादि।<br>5.2 क) संघ तथा फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही–खासकर फेडरेशन की दूरदर्शिता तय करने की प्रक्रिया हेतु।<br>ख) स्थानीय मीडिया की रिर्पोट,राज्य कार्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन/अन्य दस्तावेज– महिला/संघ/ फेडरेशन द्वारा लिए गए एक्शन के बारे में आकस्मिक रूप से सृजित/ स्थापित हुए महिलाओं की केस स्टडी।<br>5.3 क)रर्पोट,केस स्टडी और नारी अदालत कर कार्यवाही पंजी।<br>ख) पंचायत की सामाजिक न्याय समिति की कार्यवाही पुंस्तिका, लिखित प्रमाण।<br>ग) महिला हिंसा /घरेलू हिंसा पा सुरक्षा समिति का केस फाइल,एफ.आईआर. की कॉपी और एफ.आर.।<br>घ) महिला शिक्षण केन्द्र और के.जी.बी.भी. विद्यसलय का नामांकन पंजी से आँकड़े।<br>ड़) संबंधित विभाग/ संस्था द्वारा प्राप्त प्रशंसा प्रमाण पत्र,चाइल्ड हेल्पलाइन से प्राप्त आँकड़े, परिपत्र/सूचना,प्रोटेक्शन कमिटि में नाम दर्ज करने के संबंध में।<br>5.4 क) महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा/ केस फाइल के आधार पर लड़कियों द्वारा नारी अदालत तथा फेडरेशन सं मांगी गई मदद।<br>ख) संघ की सदस्यता पंजी।<br>ग) प्रोटेक्शन ऑफीसर, पुलिस द्वारा दर्ज केस/उनके लिखित प्रमाण/ नारी अदालत/ फेडरेशन की कार्यवली पुस्तिका के आधार पर।<br>5.5 क) ग्राम सभा और पंचायत की कार्यवली– विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर।<br>ख) पी.आर.आई. मे ंउपलब्ध रिर्पोट, जैसे–डी.आर.डी.ए., स्वास्थ्य तथा विभिन्न विभागों में विभाग,विद्यालय, शिक्षा विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग(नरेगा,एन.आर.एच.एम.,पी.डी.एस,एम.डी.एम.),पुलिस एवं कानून।<br>5.6 क)संघ की कार्यवाही पंजी, फेडरेशन का कार्यकारिणी की कार्यवाही पंजी, नारी अदालत की कार्यावाही–केस के प्रकार एवं संस्था द्वारा खंडित।<br>ख) नारी अदालत एवं फेडरेशन द्वारा लिखित प्रमाण एवं दस्तावेज।<br>ग) प्रेस विज्ञप्ति की छायाप्रति, प्रिंट एवं इलेक्ट्रिानिक मीडिया का कवरेज, महिला समाख्या राज्य कार्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन।<br>घ) पंचायत समितियाँ एवं परिषद् का लिखित प्रमाण।<br>5.7 क) संघ एवं फेडरेशन स्तर पर लेखा पुस्तिका,बैंक से जुड़ाव का लिखित प्रमाण व्यक्तिगत पासबुक,ऋण इस्तेमाल की प्रक्रिया हेतु लेजर एवं कैस बुक।<br>ख) (व्यक्तिगत रूप से) संघ में बचत एवं आंतरिक ,ऋण की रूपरेखा, संघ द्वारा संचालित कैश बुक एवं ,ऋण लेजर के आधार पर।<br>ग) बीमा सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों के लिए संघ तथा फेडरेशन का पहल, फेडरेशन स्तर पर संचालित विभिन्न लिखित प्रमाणों द्वारा।<br>घ) इन सेवाओं को प्राप्त करने वाले /चुने गए लाभुकों के साथ विचार–विर्मश।<br>ड़) (सामूहिक रूप से) ,ऋण तथा अन्य वितीय सहयोग के संबंध में बैंक तथा अन्य सरकारी विभागों के साथ एग्रीमेंट का लिखित प्रमाण। |
| **अनुमान** | I. आलोचनात्मक सोच में वृद्धि।<br>II. सामाजिक असमानता को चुनौती देने के लिए महिला एजेंसी को महिला समाख्या द्वारा दिया गया सहयोग। |
| **दीर्घकालिन परिणाम** | I. सामाजिक परिवर्त्तन एवं इसको प्रभावित करने हेतु महिलाओं द्वारा इस्तेमाल विभिन्न आयामों को मापना।<br>II. अधिक से अधिक जेण्डर न्याय, जिम्मेदार सामाजिक–आर्थिक माहौल।<br>III. हर क्षेत्र में व्याप्त समानता के द्वारा महिलाओं की नागरिकता को व्यक्त करने की शर्तें।(व्यक्गित और सामाजिक –राजनीतिक जुड़ाव) |